

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नौएडा के सुनियोजित विकास हेतु जिन कृषको की भूमि वर्ष 1976 से 1997 के बीच अधिग्रहीत की गयी है, के आवसीय भूखण्डों की योजना के आवेदन का प्रारूप

1. नाम.....आयु..... जन्म तिथि.....
2. पिता का नाम.....
3. स्थायी पता.....
4. वर्तमान पता
5. अर्जन का वर्ष ,खाता संख्या..... खसरा संख्या
- अर्जित भूमि का क्षेत्रफल..... (एकड़ में)
6. राजस्व ग्राम तहसील.....परगना.....जिला.....
7. मूल खातेदार का नाम.....
8. सहखातेदारों की संख्या.....
- सहखातेदारों के नाम.....
9. क्या आवेदक मूल खातेदार है। (हाँ / नहीं).....
- क्या मूल खातेदार को पूर्व में भूखण्ड/भवन आवंटित किया गया है। (हाँ / नहीं).....
- आवंटित भूखण्ड/भवन का विवरण.....
10. क्या मूल खातेदार की मृत्यु हो गयी है। (हाँ / नहीं).....
11. मूल खातेदार के वारिसानों के नाम
12. सहखातेदार/वारिसानों में से पूर्व में किस-किस को भूखण्ड/ भवन आवंटित किया गया है उसका विवरण-
.....
13. न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद/याचिका/अपील का विवरण.....
14. आवेदक के खाते के सापेक्ष कुछ भूमि का अर्जन 01.04.1997 के पश्चात हुआ है तथा उसे इसके सापेक्ष 5% आबादी भूखण्ड का आवंटन किया गया है तो उसका विवरण -
भूखण्ड संख्या..... आवंटन की तिथि.....
15. बैंक ड्राफ्ट (रु० 1000/-) का विवरण.....

सत्यापन:-

मैं शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तर 1 से 14 तक वर्णित सूचनाएँ मेरी जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं। कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक